



राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक:- प.17(8)परि/2013

जयपुर, दिनांक:- 16-02-2022

स्वीकृति आदेश संख्या 18/2021-22

केन्द्रीय बस स्टैण्ड जोधपुर के निर्माण कार्यों हेतु बजट मद 5055-00-800-(02)-(01)-उपमद-72 आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन (राज्यनिधी) में प्रावधित राशि रु. 1800.00 लाख (अक्षरे रूपये अठारह करोड मात्र) को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निजी निक्षेप खाते में अन्तरण किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी.संख्या 102200700 दिनांक 14.02.2022 में प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार खीची)

संयुक्त शासन सचिव, परिवहन

क्रमांक:- प.17(8)परि/2013

जयपुर, दिनांक:- 16-02-2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्यमंत्री महोदय, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, मुख्यालय।
9. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार राशि रु. 1800.00 लाख (अक्षरे रूपये अठारह करोड मात्र) को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के पी.डी. खाते में हस्तान्तरित कराने का श्रम कराएं।
11. सहायक निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. कोषाधिकारी, सचिवालय कोष, जयपुर।
13. नोडल अधिकारी वेबसाईट, परिवहन विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, परिवहन